मध्य प्रदेश राज्य ने हिंदू विद्यार्थियों को मदरसों में नामांकन लेने से प्रतिबंधित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मध्य प्रदेश** सरकार ने **एक आदेश जारी कर** राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा विनियमित या सरकारी सहायता प्राप्त **मदरसों में हिंदू विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक** लगा दी है

प्रमुख बिंदु:

- **राज्य के मदरसे कथित तौर पर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये हिंदू विद्यार्थियों के फर्जी नामांकन कर रहे थे,** जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।
  - जाँच में पाया गया कि **हज़ारों हिंदू विद्यार्थियों का मदरसों में नामांकन** किया गया है, **जो केवल कागज़ों पर चल रहे थे।**
- प्राधिकारियों के अनुसार, यदि विद्यार्थी नाबालिग हैं तो **मदरसे उन्हें अथवा उनके माता-पिता की लिखित सहमति के बिना धार्मिक गतिविधियों या धार्मिक अध्ययन में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।**
  - मदरसा, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों सहित सभी संस्थानों को **नई शिक्षा नीति 2020** के प्रावधानों का पालन करना होगा।

नई शिक्षा नीति (New Education Policy- NEP) 2020

- **NEP 2020** का उद्देश्य भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटना है।
- इसमें **शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव,** इसके **नियमन और प्रबंधन** सहित, की मांग की गई है, ताकि एक आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा सके, जो **भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों** का सम्मान करते हुए **सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG 4)** सहित 21वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- यह 34 वर्ष पुरानी **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, जिसे 1992 में संशोधित** किया गया था (NPE 1986/92) का स्थान लेती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mp-prohibits-hindu-students-from-enrolling-in-madrasas